



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथरामआर.ए.एस.)

आवेदन संख्या:-2019/00039

दर्ज तिथि:-18.06.2019

1. बाबूलाल पुत्र दानाराम
2. भागीरथराम पुत्र दानाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 भोमाराम पुत्र भागीरथराम
2/2 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथराम
2/3 सुनिल पुत्र भागीरथराम
2/4 केलीदेवी पत्नी भागीरथराम
3. कृष्ण कुमार पुत्र दानाराम
जाति विश्णोई निवासी धोरीमना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र तेजाराम
2. रामरख पुत्र भीयाराम
3. सुखराम पुत्र भीयाराम
4. सदराम पुत्र भीयाराम
5. सुखराम पुत्र रणजीताराम
6. सुरजन पुत्र रणजीताराम
7. नैनाराम पुत्र रणजीताराम
8. मदू पुत्र ठाकराराम
9. प्रभू पुत्र राजू के कायम मुकाम
9/1 भजनलाल पुत्र प्रभुराम
9/2 रमेश कुमार प्रभुराम
9/3 तुलछी पत्नी प्रभुराम
10. मोहन पुत्र राजू
11. नींबा पुत्र साजन
12. मंगला पुत्र साजन
13. हीरा पुत्र खीया
14. हरीराम पुत्र रतनाराम
15. मेगा पुत्र गोरखाराम
16. अशोक कुमार पुत्र किसनलाल
17. भजनलाल पुत्र किसनलाल
18. भुवनेश पुत्र किसनलाल
19. ओमी पुत्री किशनलाल



सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

लमलता पुत्र किशनलाल
जाति विश्णोई निवासी अजाणियों की ढाणी,धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना

.....असल विप्रार्थीगण

21. शाखा प्रबन्धक,एसबीआई शाखा धोरीमन्ना
22. शाखा प्रबन्धक,आरएमजीबी शाखा धोरीमन्ना
23. शाखा प्रबन्धक,टीएजीबी शाखा धोरीमन्ना
24. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली विप्रार्थी


उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:- श्री गंगाराम विश्णोई
प्रतिवादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्णोई

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-18.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-कराजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 442/10.7242 है0, 449/3/3.3346 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना, पटवार मंडल धोरीमन्ना,तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 442/10.7242 है0, 449/3/3.3346 है0 में जाने हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 443/0.4856 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना से रास्ता प्रस्तावित कर चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 20 फिट चौड़ाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,2,4से 8,व 10 बावजूद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय होकर प्रथम मौका रिपोर्ट पर लिखित आपति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार धोरीमन्ना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

nsation, on transfer of land in exchange of equal area in the such tenant preferably having the same price and adjoining to

ere a right to have a new way or enlarge or widen an existing way mted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land rising such way shall be deemed to have been extinguished and the shall be recorded as rasta in the revenue records.

The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub- sition (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right the holding through which such facility is granted.

प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की ान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 ायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and


(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and


(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and


सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना


(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. प्रार्थी की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तों के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 442/10.7242 है, 449/3/3.3346 है 0 वाके ग्राम धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 अनुसार रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्डेड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौड़ाई का लघुत्तम मार्गरास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।



राहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

बाबूलाल बनाम हरीराम
2019/00039
मैनुअल गु.नं. 69/2019
निर्णय दिनांक:-18.03.2025


इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खातेदारी आराजी 442/10.7242 है, 449/3/3.3346 है वाके ग्राम धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना में पहुँच के प्रयोजन के लिए रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 443/0.4856 है वाके ग्राम धोरीमन्ना, पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना में से होकर करीब 155 फिट लंबाई तथा 20 फिट चौड़ाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 443/0.4856 है वाके ग्राम धोरीमन्ना, पटवार हल्का धोरीमन्ना से होकर लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग रास्ते का नक्शा


सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

मानुसार



9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024को प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार धोरीमन्नाके पत्रांक भू.अ./2024/2238 दिनांक 13.08.2024 के संलग्न मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी हाल खसरा संख्या 442/10.7242 है0, 449/3/3.3346 है0 तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 443/0.4856 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना की तरफ के सेढे-सेढ नवीन रास्ता प्रस्तावित बरंग लाल रंग से अंकित लघुत्तम मार्ग बतौर 155 फिट लम्बाई व 20 फिट चौडा (24 गट्टा) रकबा 3100 वर्ग फिट या 0.0288 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

यमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरा संख्या 443/0.4856 वाके ग्राम अजाणियों की ढाणी में न्यायालय हाजा के वाद संख्या 07/2023 में जारी अस्थाई स्थगन प्रार्थना पत्र के दर्ज होने के बाद जारी हुआ है अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र की पालना हेतु उक्त खसरे में प्रार्थना पत्र के निर्णय की पालना हेतु शिथिलन दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना की दिनांक 13.08.2024 के संलग्न प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.07.2024 मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात् विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्ड्ड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 29.07.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी हाल खसरा संख्या 442/10.7242 है0, 449/3/3.3346 है0 वाके ग्राम धोरीमना ,तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 443/0.4856 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना में अंकित प्रस्ताव में इंगित बरंग लाल रंग से प्रदर्शित लम्बाई 155 फिट एवं चौड़ाई 20 फिट के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम-70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या-1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना के दिनांक 29.07.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। उक्त प्रार्थना पत्र के बाद न्यायालय हाजा में दर्ज वाद संख्या 07/2023 के अन्तर्गत केवल खसरा संख्या 443/4856 है0 वाके ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमना में जारी अस्थाई स्थगन आदेश उक्त निर्णय की पालना तक अप्रभावी रहेगा।



निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

18/3/2025
 सहायक कलक्टर
 (भागीरथ राम आर.प.सी.)
 सहायक कलक्टर
 धोरीमन्ना-बाड़मेर